स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 आरओ / 2 / 2012 / एसटीजीजेएच / डीईईडीयूसी / आरयू–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, न दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing,
Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003
दिनांक : 01–08–2013

सेवा में,

प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड सरकार,
रांची

विषयः **झारखण्ड राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पर डा0 रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 19 / 10 / 2012 को ली गयी समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 19 / 10 / 2012 को आयोग में ली गयी समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अवगत कराया जाता है कि आयोग द्वारा माह सितम्बर, 2013 में झारखण्ड राज्य की समीक्षा की जानी है जिसके दौरान प्रकरण से संबंधित समीक्षा बैठक के मुद्दों / बिन्दुओं पर भी चर्चा की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन रिपोर्ट इस पत्र के प्राप्त होते ही दिनांक 16 / 08 / 2013 तक आयोग को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 डी0 बंसी

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची (झारखण्ड)।
2. बेगम हसीना अंसारी, ब्लाक न0 10, मकान न0 159, लोधी कालोनी, नई दिल्ली–110003।

प्रति:- 1-SSA(NIC)

सं0 आरओ / 2 / 2012 / एसटीजीजेएच / डीईईडीयूसी / आरयू–3

डा0 रामेश्वर उरांव माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 विषय पर ली गयी समीक्षा बैठक दिनांक 19 / 10 / 2012 का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थितिः–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	डा0 रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष
2.	श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव
3.	श्रीमती के0डी0 बन्सौर, उप निदेशक
4.	श्री एन0 के0 मारन, अनुसंधान अधिकारी

झारखण्ड सरकार

1.	श्री एन0एन0 पाण्डेय, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड
2.	सुश्री ममता, डायरेक्टर, सेकेंडरी एजूकेशन, झारखण्ड

प्राथी

1.	बेगम हसीना अंसारी

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान में झारखण्ड राज्य के दौरे के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों ने रांची में अवगत करवाया कि झारखण्ड सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के झारखण्ड में क्रियान्वयन की प्रगति तथा छात्रों को अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों का सुचारू रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है। श्रीमती बेगम हसीना अंसारी, गुनकर कांगेस ने भी आयोग को अपने अभ्यावेदन दिनांक 12 / 10 / 2012 में सूचित किया कि "भारत सरकार से सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत पठन–पाठन एवं स्कूल यूनीफॉर्म के लिए समय पर राशि झारखण्ड सरकार को भेज दी गयी है, तथा झारखण्ड सरकार द्वारा बच्चों को पठन–पाठन सामग्री एवं स्कूल यूनीफॉर्म मुहैया नहीं करायी गयी है। इन्हीं कारणों से झारखण्ड राज्य के आदिवासी और संथाल जनजाति के बच्चों को इन सामग्रियों के न मिलने से वे पठन–पाठन में सामान्य बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बेगम

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अंसारी ने लिखा है कि भारत सरकार हजारों हजार करोड़ रूपए बच्चों के पठन–पाठन पर खर्च करती है तथा राज्य सरकार के मानव संसाधन विभाग की वजह से बच्चे लाचार और मोहताज हैं। उनको परीक्षाओं में पास करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। समय पर पठन--पाठन सामग्री उपलब्ध न रहने से बच्चे अच्छे ढंग से परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल ग्रुप के बच्चों को अभी तक संबंधित सामग्रियाँ एवं स्कूल यूनीफॉर्म नहीं दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यापकों के तीन वर्ष पश्चात् स्थानान्तरण के नियम का भी झारखण्ड राज्य में पालन नहीं हो रहा है।"

अध्यक्ष महोदय ने मामले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 विषय पर विस्तृत जानकारी एवं कार्यान्वयन के लिए इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15–10–2012 द्वारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मानव संसाधन विकास विभाग को आयोग में दिनांक 19/10/2012 को बुलाया। प्रमुख सचिव ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दी कि–

1. झारखण्ड राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने हेतु अधिसूचना सं0 1291 दिनांक 11/05/2011 के द्वारा झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 एवं अधिसूचना संख्या 905, दिनांक 26/05/2012 के द्वारा झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2012 गठित किया गया है।

2. गैर सरकारी विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के साथ दिनांक 08/01/2011 को बैठक कर गैर–सरकार विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्धारित करते हुए विभागीय पत्रांक 117, दिनांक 18/01/2011 द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं एवं पत्रांक 541, दिनांक 06/03/3011 द्वारा स्मारित किया गया है।

3. सरकारी विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित करने हेतु झारखण्ड राज्य में विभागीय पत्रांक 110, दिनांक 17/01/2011 द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किये गये हैं।

4. विभागीय पत्रांक 106, दिनांक 30/01/2012 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा आधेकार के प्रचार--प्रसार एवं इसके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु सिविल सोसाईटी एवं अन्य भागीदारों के साथ बैठक (शिक्षा संवाद) आयोजित करने का निदेश दिया गया है।

5. विभागीय अधिसूचना सं0 2627 दिनांक 27/10/2010 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 17 के तहत सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत किसी भी छात्र को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

6. विभागीय अधिसूचना सं0 2628, दिनांक 27/10/2010 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) धारा 17 के तहत सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत किसी भी छात्र को निष्कासित करने या किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण करने पर रोक लगा दी गयी है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

7. विभागीय अधिसूचना सं0 2628, दिनांक 27/10/2010 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) धारा 17 के तहत झारखण्ड राज्य शिक्षा शोध तथा प्रशिक्षण परिषद् को राज्य सरकार शैक्षणिक प्राधिकार घोषित किया गया है, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम 29 (2) मे उल्लिखित सभी कार्यों को नियमानुसार निष्पादन करेगा।

8. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि झारखण्ड राज्य में पूर्व से ही कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराया जाता रहा है। पाठ्य–पुस्तक एवं पोशाक उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् नॉडल एजेन्सी है। पाठ्य--पुस्तक एवं पोशाक के वितरण के संबंध में अद्यतन स्थिति संलग्न है।

झारखण्ड राज्य के बच्चों को पठन–पाठन सामग्री एवं स्कूल यूनिफार्म उपलब्ध कराने के संबंध में–

1. वर्ष 2012–13 में झारखण्ड राज्य के लगभग 45 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य--पुस्तक उपलब्ध करा दी गयी है जिसका विवरण निम्न है:–

कक्षा	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र	सभी छात्राएं	सामान्य एवं अन्य पिछड़ वर्ग के छात्र	कुल
I	140854	383534	195069	719457
II	127974	356911	184427	669312
III	116896	329245	182073	628214
IV	115170	319154	181707	616031
V	112738	302974	179291	595003
VI	89829	259311	151993	501133
VII	66855	205445	137452	409752
VIII	55047	174960	129641	359648
कुल	**825363**	**2331534**	**1341653**	**4498550**

2. झारखण्ड राज्य के बच्चों को स्कूल यूनिफार्म उपलब्ध कराने के लिए कपड़े का रंग/डिजाईन एवं गुणवत्ता निर्धारण तथा प्रक्रिया के निर्धारण पर निर्णय लेने हेतु राज्य कार्यकारिणी की 30वीं बैठक जो दिनांक 21/09/2012 को सम्पन्न हुई में प्रस्ताव रखा गया। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर से कपड़े का रंग/डिजाईन एवं गुणवत्ता निर्धारित किया जाये तथा ड्रेस का क्रय इस वर्ष समय की कमी को देखते हुए एवं कई विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते नहीं खोले जाने के कारण इच्छा की अभिव्यक्ति के अंतर्गत केन्द्रीकृत रूप से बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराया

Dr. GOMESHWAR GARON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

जाये। साथ ही साथ, यह भी निदेश दिया गया कि उक्त बिन्दु पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अग्रतर कार्रवाई की जाये।

उक्त निदेश के आलोक में प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से दिनांक 25/09/2012 को इस संबंध में अनुरोध पत्र दिया गया। उक्त पत्र के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 01/10/2012 को प्रधान सचिव को यह निदेश प्राप्त हुआ कि यूनिफार्म का क्रय विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाये। तदनुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त जानकारी के पश्चात् प्रिंसिपल सकेटरी को सलाह दी कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों का बहाव कम है तथा ध्यान रखा जाये कि जनजातीय क्षेत्रों में गैर– जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षक के तबादलों पर समय सीमा निर्धारित हो। प्रिंसिपल सकेटरी ने अवगत कराया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 16000 अप्रशिक्षित शिक्षक थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है तथा वह 15/11/2012 से शिक्षा देने हेतु अहर्ताधारी हो गये हैं।

आयोग ने प्रधान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के संज्ञान में लाया कि झारखण्ड राज्य की समीक्षा के दौरान देखा गया था कि अध्यापकों के 18000 हजार पद रिक्त पड़े हैं ये पद भरे गये अथवा नहीं। आयोग की जानकारी में यह भी आया था कि इंजीनियरिंग कालेजों में भी पद नहीं भरे जा रहे हैं। आयोग ने उपरोक्त पर की गयी कार्यवाही पर स्टेटस नोट देने की सलाह दी। डायरेक्टर सेकेंडरी एजूकेशन झारखण्ड ने अवगत कराया कि राज्य के 6 जिलों में प्रवेश का मात्र 10–12 प्रतिशत (कुल 1686 प्रवेश संख्या है) मापदण्ड को भी अंतिम रूप दिया जाना है। माननीय अध्यक्ष ने जानना चाहा कि रांची में सहायता प्रदत्त व गैर–सहायता प्रदत्त पाठशालाओं की स्थिति क्या है। डायरेक्ट सेकेंडरी एजूकेशन ने अवगत कराया कि उनके यहां कान्वेन्ट स्कूल नहीं है?

अध्यक्ष महोदय ने अप्रशिक्षित शिक्षक तथा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के न होने पर गंभीरता जतायी तथा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सलाह दी कि इस ओर ध्यान देते हुए एक रिपोर्ट आयोग को भिजवाएं।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उदाहरण देते हुए बताया गया कि आदिवासी क्षेत्र में बच्चे स्कूलों में जहां तक छात्राओं की बात है, में शौचालय की सुविधा न होने का एक बड़ा कारण है जिससे वह कुछ उम्र के बाद स्कूल जाने में हिचकते हैं तथा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लोहरदगा जिला में उदाहरण के तौर पर सर्वे करवाए ताकि सभी स्कूलों में शौचालय का प्रावधान अनिवार्य हो, पर कार्यवाही कर रिपोर्ट आयोग को भिजवाए।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आयोग को आश्वस्त किया कि झारखण्ड सरकार ने सभी बच्चों को यूनिफार्म देने का प्रावधान कर दिया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2012–13 तक बच्चों को यूनिफार्म दे दिया जाएगा तथा राज्य ने किताबों को बांटना भी सुचारू कर दिया है।

Rameshwar Oraon
डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi